राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4 / मुख्या. / लेखा / वित्त–अंके. / 2024 / 2465 दिनांकः– 10-06-2024

कार्यालय आदेश

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ द्वारा एस0बी0सिविल अवमानना याचिका संख्या 1027 / 2018 दूंगवराम बनाम राजहंस उपाध्याय व अन्य एवं संलग्न अन्य 108 अवमानना याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 की अनुपालना में निगम सेवा से सेवानिवृत हुए कार्मिकों के बकाया सेवानिवृति परिलाभ व अन्य भत्तों यथा बकाया वेतन, अधिश्रम भत्ता, राजपत्रित अवकाश भत्ता आदि के सम्बन्ध मे दिनांक 30.06.2024 तक प्राप्त दावों का निगम द्वारा समय–समय पर पत्र क्रमांक 13 दिनांक 07.04.1999, कार्यालय आदेश क्रमांक 1077 दिनांक 14.11.2002, 5221 / 07.08.2008, 1197 / 11.08.2008, 90 / 20.05.2010, 775 / 20.06.2011, 3571 / 20.06.2012, 198 / 06.05.2015, पत्र संख्या 24–67 / 27.01.2016, 957 / 01.08.2018, 294 / 03.11.2021, 845 / 08.03.2022, एवं 05 दिनांक 17.05.2022 जारी किये हुए है जिनकी पालना सुनिश्चित करते हुए उक्त दावों का परीक्षण / जांच उपरान्त अधिश्रम राशि की गणना का सत्यापन करने के लिये निम्नानुसार आगार स्तर पर कमेटी का गठन किया जाता हैः–

(अ) सेवानिवृत परिचालक वर्ग द्वारा प्रस्तुत दावों के सम्बन्ध में

1. मुख्य प्रबन्धक – अध्यक्ष
2. प्रबन्धक (यातायात)– सचिव
3. प्रबन्धक (वित्त)– सदस्य

(ब) सेवानिवृत चालक वर्ग द्वारा प्रस्तुत दावों के सम्बन्ध में

1. मुख्य प्रबन्धक – अध्यक्ष
2. प्रबन्धक (संचालन)– सचिव
3. प्रबन्धक (वित्त)– सदस्य

(ब) सेवानिवृत अन्य वर्ग द्वारा प्रस्तुत दावों के सम्बन्ध में

1. मुख्य प्रबन्धक – अध्यक्ष
2. प्रबन्धक (प्रशासन / यातायात / संचालन)– सचिव
3. प्रबन्धक (वित्त)– सदस्य

उक्त कमेटियां सेवानिवृत कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत दावों का परीक्षण व जॉच कर शीर्षवार विवरण सहित दिनांक 31.07.2024 तक रिपोर्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें, ताकि ऑडिट उपरान्त 31.08.2024 तक सभी सेवानिवृत कार्मिकों के देय राशि का निर्धारण कर संकलित रिपोर्ट मा0 उच्च न्यायालय में पेश की जा सके।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राम गोपाल पारीक)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः– एफ.4 / मुख्या. / लेखा / वित्त–अंके. / 2024 / 2465 दिनांकः– 10-06-2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रा0रा0प0प0निगम, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, रा0रा0प0प0निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन / यातायात / विधि / यांत्रिक), रा0रा0प0प0निगम, मुख्यालय जयपुर।
4. महा प्रबन्धक (यातयात / कय–भण्डार), रा0रा0प0प0निगम, जयपुर।
5. जोनल मैनेजर (.......................... जोन), रा0रा0प0प0निगम, मुख्यालय जयपुर।
6. संयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त भुगतान), रा0रा0प0प0निगम, जयपुर।
7. उप महा प्रबन्धक (वित्त भुगतान), रा0रा0प0प0निगम, जयपुर।
8. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक, रा0रा0प0प0निगम, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुए समस्त कर्मचारियों को सूचनार्थ आगार कार्यालय / कार्यशाला नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराया जावे।
9. मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक(प्रशासन / वित्त / यातायात / संचालन), रा0रा0प0प0निगम, ... आगार।
10. आदेश / रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार